

Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch. 88+650 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Garh Banger, Tehsil- Garhmukteswar, District Hapur के आवागमन हेतु मार्ग के निर्माण में बाधक संरक्षित वन भूमि हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक – 11-268/2014/एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. महादेव पिकनिक स्पोट द्वारा Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch. 88+650 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Garh Banger, Tehsil- Garhmukteswar, District Hapur के आवागमन में महादेव पिकनिक स्पोट सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.048 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु महादेव पिकनिक स्पोट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य की स्टीम की दूरी 30 मीटर है तथा सम्पर्क मार्ग का क्षेत्रफल 0.048 हे० है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे के अनुरूप है तथा यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अधीन है। अतः इस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के मानक ही लागू होंगे जो मान्य है।
2. प्रस्तावित Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch. 88+650 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Garh Banger, Tehsil- Garhmukteswar, District Hapur के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है।
3. प्रस्तावित महादेव पिकनिक स्पोट पर शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है।
4. साईन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
5. महादेव पिकनिक स्पोट द्वारा स्वयं के व्यय पर महादेव पिकनिक स्पोट की दीवार से 01 से 1.5 मीटर के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
6. विधिवत स्वीकृति जारी होने के पश्चात महादेव पिकनिक स्पोट द्वारा कैम्पा मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।


गडमुक्तेस्वर


(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वन अधिकारी
हापुड़, जिला हापुड़, हरियाणा
हापुड़।